फर्द अहकाम

संख्या / वर्ष 176/2022 बनाम तुलसीराम गुलानी /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	संक्षिप्त विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/7/24	पत्रावली पेश हेतु वकील डिक्रीदार आदेश 0 26 R 9 CPC का विलम्ब दिनांक 17/8/24 को पारित किया जाता है। प्रार्थी डि0 की ओर से जवाब का प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश 7 R 11 पेश किया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 14/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
14/8/24	पत्रावली पेश हो। वकील डिक्रीदार उपस्थित। आदेश 7 R 11 सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
23/8/24	पत्रावली पेश हो। वकील डिक्रीदार द्वारा आदेश 7 R 11 पूर्व में सुनी जा चुकी है। वाद डिक्रीदार व पत्रावली का मन दस्तावेज असलीयत करने पर इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 30/9/2022 को मूल वाद के निस्तारण तक प्रभावी किया जाता है। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर करें। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:41:40 IST
Reason: SelfAttested